डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम

संदर्भ: हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 के मसौदे को जारी किया है। यह अगस्त 2023 में अधिनियमित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA) को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मसौदा नियमों की मुख्य विशेषताएं:

- **सूचना आवश्यकताएँ:** डेटा फिड्युसरी (वह संस्था या व्यक्ति है जो व्यक्तिगत डेटा को एकत्रित करता है) को उपयोगकर्ताओं को उनके द्वारा एकत्रित किए जा रहे डेटा, उसके संग्रह के उद्देश्य के बारे में सूचित करना चाहिए और डेटा प्रोसेसिंग के लिए सूचित सहमति देने के तरीके के बारे में स्पष्ट विवरण प्रदान करना चाहिए।
- **सहमति प्रबंधक:** नियम डेटा फिड्युसरी के साथ काम करने के लिए 'सहमति प्रबंधकों' के पंजीकरण की अनुमति देते हैं। ये संस्थाएँ यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगी कि व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए उपयोगकर्ता की सहमति एक निर्दिष्ट प्रारूप में एकत्र की जाए।
- **सरकारी डेटा संग्रह:** सरकार कुछ मानकों के अधीन सब्सिडी या लाभ प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत डेटा एकत्र कर सकती है। 'सांख्यिकीय' उद्देश्यों के लिए एकत्र किए गए डेटा को इन आवश्यकताओं से छूट दी गई है।
- **सुरक्षा उपाय:** डेटा फिड्युसरी को व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए तकनीकी और परिचालन दोनों तरह के उचित सुरक्षा उपाय करने चाहिए। डेटा उल्लंघन की स्थिति में, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया (DPBI) को 72 घंटों के भीतर सूचित किया जाना चाहिए।
- **निष्क्रिय उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा हटाना:** यदि कोई उपयोगकर्ता किसी प्लेटफॉर्म (जैसे ई-कॉमर्स साइट, सोशल मीडिया या ऑनलाइन गेमिंग) पर निष्क्रिय है,तो उनके डेटा को 48 घंटे की नोटिस अवधि के बाद हटा दिया जाना चाहिए, ताकि उन्हें डेटा हटाने से रोकने का समय मिल सके।
- **डेटा सुरक्षा अधिकारी के लिए संपर्क जानकारी:** डेटा फिड्युसरी को अपनी वेबसाइट पर डेटा सुरक्षा अधिकारी से संपर्क हेतु जानकारी प्रदान करनी चाहिए, विशेष रूप से महत्वपूर्ण डेटा फिड्युसरी के लिए जिन्हें समय-समय पर डेटा सुरक्षा प्रभाव आकलन और ऑडिट करने की आवश्यकता होती है।
- **बच्चों का डेटा:** नियम इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति के बिना संसाधित नहीं किया जाना चाहिए। डिजिटल लॉकर सेवा जैसे किसी विश्वसनीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई पहचान और आयु विवरण का उपयोग करके सहमति एकत्र की जा सकती है।
- **विदेश में डेटा प्रोसेसिंग:** नियमों में कहा गया है कि भारत के बाहर डेटा प्रोसेसिंग आवश्यकताओं के अधीन है, जिसे सरकार आदेशों के माध्यम से निर्दिष्ट कर सकती है।

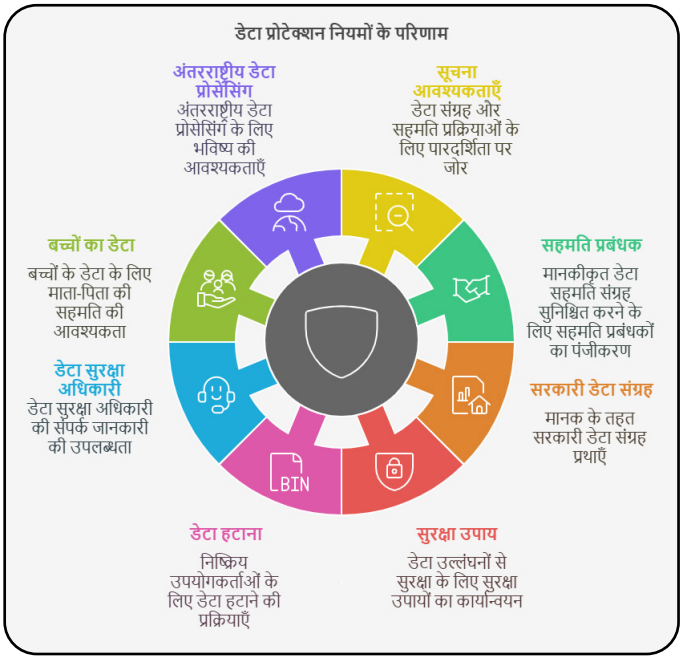

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के बारे में:

- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP अधिनियम) को 11 अगस्त, 2023 को अधिनियमित किया गया था। यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43A और सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2011 का स्थान लेता है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA) उस डेटा पर लागू होता है जिसे डिजिटल रूप से संसाधित किया जाता है, जिसमें एनालॉग तरीके से संभाले जाने वाले डेटा को शामिल नहीं किया जाता है।
- इसका उद्देश्य संगठनों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के जिम्मेदार उपयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हुए व्यक्तियों के गोपनीयता अधिकारों की रक्षा करना है। यह अधिनियम वर्षों की चर्चाओं और संशोधनों के बाद आया, जिसकी शुरुआत 2011 में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एपी शाह की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समूह द्वारा की गई सिफारिशों से हुई थी।

डेटा सुरक्षा का महत्व:

- ये नियम और अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय के 2017 के निजता के अधिकार पर दिए गए फैसले के अनुरूप हैं, जिसमें निजता को भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई

है। इन नियमों की शुरूआत के साथ, भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था की अनूठी चुनौतियों का समाधान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मजबूत डेटा सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाता है।

गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट

सन्दर्भ: हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गई 2024 की गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट देश के भूजल संसाधनों की वर्तमान स्थिति का एक व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) और विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सम्मिलित प्रयासों का परिणाम है। भूजल संसाधनों के वैज्ञानिक आकलन के माध्यम से, यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं, जल संसाधन प्रबंधकों और आम जनता को सूचित निर्णय लेने में सहायता करेगी।

मुख्य निष्कर्ष:

- **कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण:** देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण में पिछले आकलन की तुलना में 15 अरब घन मीटर (बीसीएम) की वृद्धि हुई है। वर्ष 2024 में यह आंकड़ा 446.90 बीसीएम तक पहुंच गया है।
- **वार्षिक भूजल निष्कर्षण:** वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2024 में भूजल निष्कर्षण 3 अरब घन मीटर कम होकर 245.64 बीसीएम रह गया है।
- **भूजल निष्कर्षण का औसत स्तर:** भारत में भूजल निष्कर्षण का औसत स्तर वर्तमान में 60.47% है।

भूजल का वर्गीकरण:

- **सुरक्षित (Safe Units):** 4951 इकाइयाँ (कुल इकाइयों का 73.4%)
- **अर्ध-महत्वपूर्ण (Semi&Critical Units):** 711 इकाइयाँ (10.5%)
- **महत्वपूर्ण (Critical Units):** 206 इकाइयाँ (3.05%)
- **अति-शोषित (Over&eñploited Units):** 751 इकाइयाँ (11.1%)
- **खारा (Saline Units):** 127 यूनिट (1.8%)

पिछले पांच वर्षों में भूजल पुनर्भरण और निष्कर्षण के निष्कर्ष:

- **पुनर्भरण में वृद्धि:** वर्ष 2017 की तुलना में भूजल पुनर्भरण में 15 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) की वृद्धि हुई है। विशेष रूप से, टैंकों, तालाबों और जल संरक्षण संरचनाओं में पुनर्भरण पिछले पांच वर्षों में लगातार बढ़ रहा है, जो वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में 0.39 बीसीएम की वृद्धि दर्शाता है।
- **निष्कर्षण में कमी:** वर्ष 2017 की तुलना से भूजल निष्कर्षण में 3 बीसीएम की कमी आई है।
- सुरक्षित मूल्यांकन इकाइयों का प्रतिशत 2017 में 62.6% से बढ़कर 2024 में 73.4% हो गया है, जोकि भूजल प्रबंधन में सकारात्मक प्रगति दर्शाता है।
- अति-शोषित इकाइयों का प्रतिशत 2017 में 17.24% से घटकर 2024 में 11.13% हो गया है, जो उन क्षेत्रों में कमी दर्शाता है जहां भूजल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है।

रिपोर्ट नीति निर्माण में किस प्रकार सहायक है?

- गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट देश भर में भूजल संसाधनों की स्थिति पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करती है। यह नीति निर्माताओं, सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों को निम्नलिखित में सहायता करती है:
  - » यह रिपोर्ट उन क्षेत्रों की स्पष्ट पहचान करती है जहां भूजल संसाधन अधिक दबाव में हैं और तत्काल संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है।
  - » रिपोर्ट में दिए गए डेटा के आधार पर, अतिशोषण को रोकने के लिए प्रभावी रणनीतियां तैयार की जा सकती हैं।
  - » यह रिपोर्ट टिकाऊ जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नीतिगत ढांचे को मजबूत करने में मदद करती है।
  - » रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी के आधार पर जल संरक्षण अवसंरचनाओं के विकास और रखरखाव के लिए बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं।

प्रवासी भारतीय दिवस

सन्दर्भ: प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) भारत के विकास और समृद्धि में प्रवासी भारतीय समुदाय के महत्वपूर्ण योगदान का जश्न मनाने वाला एक प्रतिष्ठित आयोजन है। वर्ष 2025 में पीबीडी का 18वां संस्करण 8 से 10 जनवरी तक ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष का विषय, ष्विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान,ष् प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत के विकास में निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

प्रवासी का इतिहास भारतीय दिवस:

- प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार 9 जनवरी, 2003 को मनाया गया था, ताकि प्रवासी भारतीयों के अमूल्य योगदान को मान्यता दी जा सके। यह दिन महात्मा गांधी के 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की याद दिलाता है, जोकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक क्षण था। यह दिन सबसे महान प्रवासी (विदेशी भारतीय) के रूप में उनकी भूमिका को मान्यता देता है।
- शुरू में एक वार्षिक कार्यक्रम, प्रवासी भारतीय दिवस को 2015 में संशोधित किया गया था, ताकि प्रवासी समुदाय के साथ जुड़ाव बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। समय के साथ, यह प्रवासी भारतीयों

को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने और भारत के विकास में उनकी निरंतर भागीदारी को प्रोत्साहित करने का एक प्रमुख मंच बन गया है।

आयोजन का महत्व:

- **सांस्कृतिक महत्व:** प्रवासी भारतीय दिवस भारत और उसके वैश्विक प्रवासी समुदाय के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का उत्सव है। यह कार्यक्रम प्रवासी भारतीयों को अपनी विरासत और संस्कृति से फिर से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। यह भारत और उन देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है जहाँ ये प्रवासी समुदाय रहते हैं, जिससे परंपराओं, कला और मूल्यों को साझा करने में मदद मिलती है। यह आदान-प्रदान भारत और उसके प्रवासी लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करता है और आपसी समझ को बढ़ाता है।
- **आर्थिक महत्व:** प्रवासी भारतीय भारत की अर्थव्यवस्था में धन प्रेषण के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जोकि पूरे भारत में परिवारों और समुदायों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीयों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। यह कार्यक्रम भारत और उन देशों, जहाँ प्रवासी रहते हैं, दोनों को लाभ पहुँचाने वाले व्यावसायिक अवसरों, उद्यमशीलता और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- **सामाजिक महत्व:** प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीयों के बीच सामुदायिक भावना का निर्माण करने में मदद करता है, नेटवर्किंग और सहयोग को सुविधाजनक बनाता है। प्रवासी समुदाय के कई सदस्य भारत में सामाजिक कार्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबी उन्मूलन में योगदान देते हैं। उनकी धर्मार्थ गतिविधियाँ और निवेश लाखों भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने में मदद करते हैं।
- **कूटनीतिक महत्व:** प्रवासी भारतीय दिवस उन देशों के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करता है, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं। यह प्रवासी कूटनीति का एक उदाहरण है, जहां भारत अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रवासियों के साथ जुड़ता है। यह आयोजन वैश्विक मंच पर भारत के प्रभाव को बढ़ाने में भी मदद करता है, जिससे विदेशी सरकारों और अंतरराष्ट्रीय समुदायों के साथ सद्भावना का निर्माण होता है।
- **व्यक्तिगत महत्व:** प्रवासी भारतीयों के लिए, प्रवासी भारतीय दिवस अपनी विरासत के प्रति अपनेपन और गर्व की भावना प्रदान करता है। यह कार्यक्रम उन्हें भारत के विकास में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वह निवेश, सामाजिक कार्य या व्यावसायिक उपक्रमों के माध्यम से हो। यह प्रवासी भारतीयों को भारत से जुड़ाव महसूस करने में मदद करता है और राष्ट्र की प्रगति में उनकी निरंतर भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

एचएमपीवी प्रकोप

सन्दर्भ: हाल ही में चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) के प्रकोप की खबरों के मद्देनजर, भारत सरकार ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। चीन में इस वायरस ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अधिक प्रभावित किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में भी HMPV के कुछ मामले सामने आये हैं।

चीन में प्रकोप:

- चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, विशेषकर बच्चों में। यह वायरस श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और सर्दी-जुकाम जैसे लक्षण पैदा करता है।

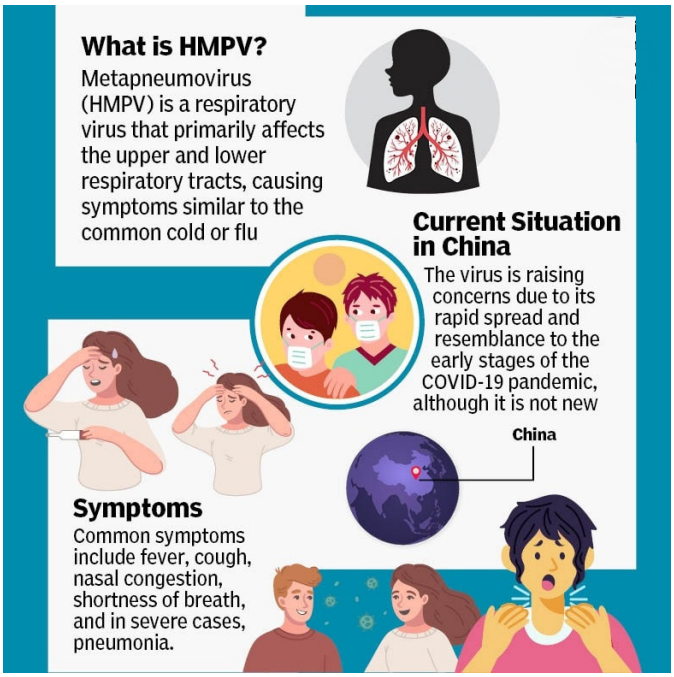

एचएमपीवी के बारे में:

- HMPV पैरामाइक्सोविरिडे परिवार का एक सदस्य है, जिसमें रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस (RSV) भी शामिल है। यह वायरस ऊपरी और निचले श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है और सभी आयु वर्गों के लोगों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, शिशुओं, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में यह अधिक गंभीर हो सकता है। HMPV के सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, नाक बहना और सांस लेने में कठिनाई शामिल हैं।
- यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली छोटी बूंदों के माध्यम से या संक्रमित सतहों को छूने और फिर मुंह,

नाक या आंखों को छूने से फैलता है। इस वायरस का समय आमतौर पर तीन से छह दिनों का होता है और बीमारी की अवधि संक्रमण की गंभीरता पर निर्भर करती है।

इन्फ्लूएंजा, आरएसवी और सार्स-सीओवी-2 के साथ एचएमपीवी की तुलना:

वायरस परिवार

- एचएमपीवी: पैरामाइक्सोविरिडे
- इन्फ्लूएंजा: ऑर्थोमिक्सोविरिडे
- आरएसवी: पैरामाइक्सोविरिडे
- SARS-CoV-2: कोरोनाविरिडे

जीनोमिक सामग्री

- **एचएमपीवी:** आरएनए (एकल-रज्जुक, नकारात्मक-अर्थ) RNA (Single-stranded, Negative-sense)
- **इन्फ्लूएंजा:** आरएनए (एकल-रज्जुक, नकारात्मक-अर्थ) RNA (Single&-stranded, Negative-sense)
- **आरएसवी:** आरएनए (एकल-रज्जुक, नकारात्मक-अर्थ) RNA (Single-stranded, Negative-sense)
- **SARS-CoV-2:** आरएनए (एकल-रज्जुक, सकारात्मक-अर्थ) RNA (Single-stranded, Positive-sense)

हस्तांतरण

- **एचएमपीवी:** हवा में उड़ने वाली बूंदें, निकट संपर्क
- **इन्फ्लूएंजा:** वायुजनित बूंदें, निकट संपर्क
- **आरएसवी:** हवा में उड़ने वाली बूंदें, निकट संपर्क
- **SARS-CoV-2:** हवा में मौजूद बूंदें, निकट संपर्क, फोमाइट्स

लक्षण

- **एचएमपीवी:** खांसी, घरघराहट, बुखार, नाक बंद होना, सांस लेने में कठिनाई
- **इन्फ्लूएंजा:** बुखार, खांसी, गले में खराश, थकान, शरीर में दर्द
- आरएसवी: खांसी, घरघराहट, सांस लेने में तकलीफ, बुखार
- **SARS-CoV-2:** बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, थकान, स्वाद/गंध का न महसूस होना
- **उद्भवन (incubation):** उद्भवन का तात्पर्य उस समय से है जब लक्षणों के प्रकट होने से पहले ,रोगाणु शरीर के अंदर बढ़ रहे होते हैं।
- **एचएमपीवी:** 3 से 6 दिन
- **इन्फ्लूएंजा:** 1 से 4 दिन
- **आरएसवी:** 4 से 6 दिन
- **SARS-CoV-2:** 2 से 14 दिन (औसत5-6 दिन)

मौसम:

- **एचएमपीवी:** सर्दी और वसंत के महीने
- **इन्फ्लूएंजा:** सर्दियों के महीने
- **आरएसवी:** सर्दियों के महीने
- **SARS-CoV-2:** वर्ष भर, क्षेत्र के आधार पर

वैक्सीन की उपलब्धता:

- **एचएमपीवी:** कोई टीका उपलब्ध नहीं है।
- **इन्फ्लूएंजा:** फ्लू वैक्सीन उपलब्ध हैं।
- **आरएसवी:** कोई टीका उपलब्ध नहीं है।
- **SARS-CoV-2:** उपलब्ध टीके (जैसे, फाइजर, मॉडर्ना)

इलाज:

- **एचएमपीवी:** सहायक देखभाल (ऑक्सीजन, एंटीवायरल सामान्य नहीं)
- **इन्फ्लूएंजा:** एंटीवायरल दवाएं (जैसे ओसेल्टामिविर), सहायक देखभाल
- **आरएसवी:** सहायक देखभाल, ब्रोन्कोडायलेटर्स, स्टेरॉयड
- **SARS-CoV-2:** एंटीवायरल उपचार (जैसे, रेमडेसिविर), मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, सहायक देखभाल

पॉवर पैक्ड न्यूज

पश्चिम बंगाल ने जीती 33वीं संतोष ट्रॉफी

- पश्चिम बंगाल ने 1 जनवरी 2025 को फाइनल में केरल को हराकर 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती। मैच का एकमात्र निर्णायक गोल अतिरिक्त समय में रोबी हंसदा ने किया।
- हंसदा इस टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर भी बने। यह जीत पश्चिम बंगाल की फुटबॉल में ऐतिहासिक श्रेष्ठता को दर्शाती है।
- संतोष ट्रॉफी, जो राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के तहत आयोजित होती है। यह जीत पश्चिम बंगाल के फुटबॉल इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है।

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

6 January 2025

भारत का पहला कांच का पुल

- कन्याकुमारी में समुद्र पर बने भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन 1 जनवरी 2025 को किया गया। यह पुल तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ता है।
- 37 करोड़ रुपये की लागत से बने इस पुल की लंबाई 77 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। इसे समुद्री हवा और उच्च आर्द्रता को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह पुल पर्यटकों को समुद्र के दृश्य का आनंद लेते हुए सुरक्षित रूप से दोनों स्थलों के बीच चलने की सुविधा प्रदान करता है।
- यह परियोजना कन्याकुमारी को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रयासों का हिस्सा है।

राजगोपाला चिदंबरम

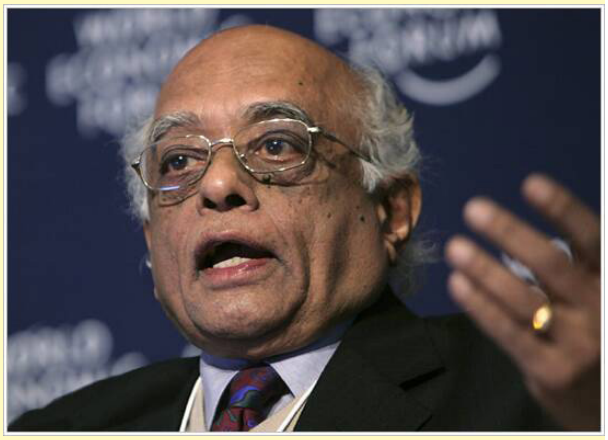

- भारत के परमाणु कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रख्यात भौतिक विज्ञानी राजगोपाला चिदंबरम का, 4 जनवरी को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- परमाणु शक्ति के रूप में भारत की यात्रा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका 1974 के 'स्माइलिंग बुद्धा' परमाणु परीक्षण में उनकी भागीदारी के साथ शुरू हुई और 1998 के पोखरण- II परीक्षणों के दौरान उनके नेतृत्व के साथ जारी रही, जिसने वैश्विक मंच पर भारत की परमाणु शक्ति के रूप में स्थिति स्थापित की।
- 1936 में तमिलनाडु में जन्मे चिदंबरम चेन्नई के प्रेसीडेंसी कॉलेज और बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व छात्र थे। अपने शानदार करियर के दौरान, उन्होंने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) के निदेशक सहित कई प्रमुख पदों पर कार्य किया।
- उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग की अध्यक्षता भी की और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। परमाणु उन्नति से परे, चिदंबरम ने उच्च दाब भौतिकी, क्रिस्टलोग्राफी और पदार्थ विज्ञान में अभूतपूर्व योगदान दिया, जिसने भारत में आधुनिक पदार्थ अनुसंधान की नींव रखी।
- पद्म विभूषण और पद्म श्री से सम्मानित, चिदंबरम की विरासत भारत और उसके बाहर की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है।